



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING

नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फा. संख्या: कार्मिक30(15)/2013

दिनांक:- 17.07.2019

कार्यालय आदेश संख्या: 110/2019

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि दिनांक 17 जून 2019 से 26 जुलाई 2019 तक बजट सत्र 2019 चल रहा है। सत्र के दौरान यह अपेक्षित है कि संसद के प्रश्नों का उत्तर यथा समय एवं उच्च प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए।

संसद प्रश्नों के यथा समय उत्तर भेजने के लिए संबंधित अधिकारियों को एतद्वारा निदेश दिया जाता है कि मंत्रालय के संबंधित संसद प्रश्नों को समुचित उत्तर दिए जाने तक कार्यालय में ही रहे। यदि कोई अधिकारी किसी अति आवश्यक कार्य की वजह से कार्यालय से जाना चाहता है तो वह कार्यालय से जाने से पहले अपर नौवहन महानिदेशक (प्रभारी) की अग्रिम अनुमति ले। इस संबंध में यदि कोई विषमता पाई गई तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा।

(डॉ. पी. के. राऊत)

उप नौवहन महानिदेशक (कार्मिक)

सेवा में

1. सभी नौवहन महानिदेशक, नौमनि, मुंबई
2. सभी नॉटिकल सर्वेक्षक-सह-नौमनि (तकनीकी)
3. सभी इंजीनियर एवं पोत सर्वेक्षक-सह-उपनौमनि (तकनीकी), नौमनि, मुंबई
4. सभी सहायक नौवहन महानिदेशक, नौमनि, मुंबई
5. वरिष्ठ जलराशिक सर्वेक्षक, नौमनि, मुंबई
6. सभी सहायक जलराशिक सर्वेक्षक, नौमनि, मुंबई
7. कार्यालय आदेश फाइल

सूचनार्थ प्रतिलिपि अग्रेषित:-

1. नौमनि के वरिष्ठ निजी सचिव, भारत सरकार
2. अपर नौमनि (प्रभारी) के वरिष्ठ निजी सचिव, भारत सरकार
3. सीएस, भारत सरकार के वरिष्ठ निजी सचिव
4. नॉटिकल सलाहकार (प्रभारी), भारत सरकार के वरिष्ठ निजी सचिव
5. सीएसएस, भारत सरकार के वरिष्ठ निजी सचिव

official
18/7

नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

कार्मिक अनुभाग
PERSONNEL BRANCH

17 JUL 2019


F.No.PB-30(15)/2013-Misc

Dated : 17.07.2019

OFFICE ORDER NO.110/2019

I have been directed to inform all that the 2019-Budget Session of the Parliament from 17 June, 2019 to 26 July, 2019 is in progress. During the session it is expected that the replies to the Parliament Questions are sent in a time bound manner and on top priority basis.

In order to send the replies to Parliament Questions in a timely manner, concerned officers are directed hereby to be in the office till the proper reply to the respective Parliament Questions are sent to the Ministry. If any such officer wants to leave the office early due to some urgent work, then he has to take prior permission from the Additional Director, General of Shipping [I/C] before leaving the office. Any deviation in this regard will be strictly dealt with.


[Dr. P. K. Raut]

Deputy Director General of Shipping [Pers.]

Copy to;

1. All Deputy Director General of Shipping, DGS, Mumbai.
2. All Nautical Surveyor-cum-DDG [Tech.], DGS, Mumbai.
3. All Engineer & Ship Surveyor-cum-DDG [Tech.], DGS, Mumbai.
4. All Assistant Director General of Shipping, DGS, Mumbai.
5. Senior Hydrographic Surveyor, DGS, Mumbai.
6. All Assistant Hydrographic Surveyor, DGS, Mumbai.
7. Office Order file.

Copy forwarded for information to:

1. Sr. P.S. to DGS, Govt. of India
2. Sr. P.S. to Addl. DGS [I/C], Govt. of India
3. Sr. P.S. to CS to Govt. of India
4. Sr. P.S. to NA [I/C] to Govt. of India
5. Sr. P.S. to CSS to Govt. of India.